



JALAUN POLICE



दिनांक- 03.07.2026

ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत विगत 06 माह में जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर 141 अभियोगों में 203 अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में चलाये जा रहे 'Operation Conviction' अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में विचाराधीन महिलाओं/बालिकाओं एवं जघन्य अपराध से संबन्धित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अवगत कराना है कि जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी, पैरवी सेल द्वारा किये गये परस्पर समन्वय के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा दिनांक 01.01.2026 से अब तक कुल 141 अभियोगों में कुल 203 अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

1. दिनांक 01.01.2026 से अब तक कुल 06 अभियोगों में 17 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व अधिक से अधिक अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
2. दिनांक 01.01.2026 से अब तक महिला सम्बन्धी अपराधों के कुल 17 अभियोगों में 23 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया, जिसमें 02 अभियोगों में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
3. दिनांक 01.01.2026 से अब तक अन्य प्रकरणों में कुल 135 अभियोगों में 186 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिसमें 06 अभियोगों में 08 अभियुक्तगण को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 02 अभियोगों में 02 अभियुक्तों को 10 वर्ष का कारावास, 08 अभियोगों में 11 अभियुक्तों को 07 वर्ष का कारावास, 34 अभियोगों में 53 अभियुक्तों को 01 वर्ष से 05 वर्ष तक कारावास तथा 85 अभियोगों में 112 अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन पक्ष से समन्वय स्थापित कर अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड दिलवाने की कार्यवाही अनवरत जारी रहेगी।